



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 7

पटना, बुधवार,

29 माघ 1947 (श0)

18 फरवरी 2026(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	02-14
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4-बिहार अधिनियम	---
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9-विज्ञापन	---
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	15-15
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना-800015

अधिसूचनाएं

5 फरवरी 2026

सं० Estb/130/2025-SEC_2-ELECTION_DEPT-1/359343/2026—श्री अंकित कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर सदर (HRMS Employee ID-40003054) को जर्मनी में कार्यरत उनके बड़े भाई के ईलाज के लिए जर्मनी जाने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक— PCFC/ELECTION/BELS/2022/0157-1010(23) दिनांक 14.07.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 10.06.2025 से 10.07.2025 तक कुल 31 (इकत्तीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 09.06.2025 तक 55-31=24 दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

5 फरवरी 2026

सं० Estb/33/2025-SEC_2-ELECTION_DEPT-1/359352/2026—श्रीमती दिव्या, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, तारापुर (HRMS Employee ID-30055694) को स्वयं के स्वास्थ्यगत कारणों से बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक—PCFC/ELECTION/BELS/2022/0113-1586(23) दिनांक 18.11.2024 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 22.02.2023 से दिनांक 09.03.2023 तक कुल 16 (सोलह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 21.02.2023 तक 38-16=22 दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

11 फरवरी 2026

सं० Estb/132/2025-SEC_2-ELECTION_DEPT-1/362563/2026—श्री धीरज कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना (HRMS Employee ID-10687470) को निजी कार्य से राज्य से बाहर जाने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 एवं 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक— PCFC/AIS/BELS/2025/0002/1841(23) दिनांक 17.12.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 19.12.2025 से 20.01.2026 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 18.12.2025 तक 300-33=267 दिन शेष रहेगी।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

11 फरवरी 2026

सं०सं० ई2-2-18/2022-03—सुश्री दिव्यांशी श्रीवास्तव (बि०नि०से०) अवर निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को उनके अभ्यावेदन दिनांक 30.01.2026 के आलोक में इण्डिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (भारत मंडपम, नई

दिल्ली) में डिप्टी मैनेजर (जेनरल कैडर) के पद पर योगदान करने हेतु दिनांक 11.02.2026 के अपराह्न से विरमित किया जाता है।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम-68, 69 एवं 70 में निहित प्रावधान के तहत सुश्री दिव्यांशी का गहनाधिकारी विरमन की तिथि से 02 वर्षों तक रहेगा।

3. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

वित्त विभाग

अधिसूचना

12 फरवरी 2026

सं० 1/स्था०(बि०वि०प्र०से०)-02/2025-1537/वि०-वित्त विभागीय अधिसूचना सं०-13942/वि०, दिनांक-27.12.2024 द्वारा बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले 06 (छः) माह तक के लिए पूर्णतः औपबंधिक रूप से की गयी थी। उक्त अवधि में उनका चरित्र एवं पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाने के फलस्वरूप वित्त विभागीय पत्रांक-10602/वि०, दिनांक-07.10.2025 के माध्यम से औपबंधिक नियुक्ति की अवधि 06 (छः) माह के लिए विस्तारित की गयी थी।

2. उक्त के आलोक में कुल-52 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्व वृत्त का सत्यापन प्रतिवेदन संबंधित जिला पदाधिकारियों से प्राप्त हो गया है। अतः निम्नांकित बिहार वित्तीय प्रशासन सेवा के पदाधिकारियों को नियमित रूप से वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम	गृह जिला/ राज्य	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
1	श्री अमन सिंह	गया	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, औरंगाबाद
2	श्री श्याम कुमार	पंचम्पारण	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पंचम्पारण
3	श्री रोहित कुमार	मुजफ्फरपुर	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सीतामढ़ी
4	श्री सागर सिंह	सिवान	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग
5	सुश्री आयुषी मनु	पटना	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, वैशाली
6	सुश्री आयुषी पाण्डेय	अयोध्या(उ०प्र०)	सहायक कोषागार पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)
7	श्री चाणक्य कुमार	कटिहार	सहायक कोषागार पदाधिकारी, किशनगंज
8	सुश्री गजाला आफरीन	पूर्णियाँ	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा
9	श्री नीरज कुमार	जमुई	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मुंगेर
10	सुश्री ज्योति कुमारी	मुजफ्फरपुर	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा
11	श्रीमती चारु अग्रवाल	मथुरा(उ०प्र०)	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कला संस्कृति एवं युवा विभाग
12	श्री सौन्दर्य कुमार सुमन	बेगूसराय	सहायक कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय
13	सुश्री रीना रानी	गया	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
14	श्रीमती सरस्वती कुमारी	बांका	सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर
15	सुश्री आशना जेया	समस्तीपुर	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर
16	श्री केशव कुमार झा	दरभंगा	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, समस्तीपुर
17	श्री मयंक कुमार सिंह	चन्दौली(उ०प्र०)	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, शेखपुरा
18	श्री लालजी पाण्डेय	लखनऊ(उ०प्र०)	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, कैमूर(भभुआ)
19	श्री सौरभ	पटना	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, रोहतास
20	श्री रिपुदमन	अररिया	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा
21	श्री आदित्य प्रताप	जमुई	सहायक कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद
22	सुश्री मधु शर्मा	नालन्दा	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
23	श्री प्रशांत कुमार	वैशाली	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सिवान
24	सुश्री शिविका	पंचम्पारण	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सिवान
25	श्री सुबोध कुमार	मुजफ्फरपुर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा

क्र.सं.	नाम	गृह जिला / राज्य	पदस्थापन कार्यालय
1	2	3	4
26	श्री गौतम कुमार	बेगूसराय	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सहरसा
27	श्री कमलेश कुमार	कैमूर(भभुआ)	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य-कर विभाग
28	श्री मुल शंकर कुमार	औरंगाबाद	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, खेल विभाग
29	सुश्री साक्षी प्रिया	समस्तीपुर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी
30	सुश्री संध्या कुमारी	नवादा	सहायक कोषागार पदाधिकारी, जमुई
31	सुश्री सुप्रिया भारती	समस्तीपुर	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सारण
32	श्री अमित कुमार साह	समस्तीपुर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया
33	श्री हर्षित	औरंगाबाद	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, जहानाबाद
34	श्री कमलेश कुमार	पंचम्पारण	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, किशनगंज
35	मो० अबसार	कटिहार	सहायक कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ
36	सुश्री निकिता कुमारी	पंचम्पारण	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, सूचना प्रावैधिकी विभाग
37	श्री अमरजीत कुमार	मुजफ्फरपुर	सहायक कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी
38	मो० आमिल हसन	पूर्णियाँ	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, अररिया
39	सुश्री रिया वर्मा	रोहतास	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, विधि विभाग
40	श्री रवि कुमार केशरी	सीतामढ़ी	सहायक कोषागार पदाधिकारी, शिवहर
41	सुश्री दाक्षी जायसवाल	बांका	सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर
42	श्री अभिनव	पंचम्पारण	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पंचम्पारण
43	श्री सुबोध कुमार राय	समस्तीपुर	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, सहरसा
44	श्री शुभम कुमार दास	किशनगंज	सहायक कोषागार पदाधिकारी, कटिहार
45	सुश्री अभिलाषा कुमारी	औरंगाबाद	सहायक कोषागार पदाधिकारी, शेखपुरा
46	सुश्री साधवी कान्त	वैशाली	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, पटना
47	सुश्री अम्बिका कुमारी	भागलपुर	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, कटिहार
48	श्री वीरेन्द्र कुमार	नवादा	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, नालन्दा
49	श्री राजन कुमार	बेगूसराय	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, लखीसराय
50	श्री अमृतांशु भारद्वाज	गया	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
51	श्री हिमांशु देव	पूर्वी चम्पारण	सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार, विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
52	सुश्री शिखा कुमारी सिंह	औरंगाबाद	सहायक जिला लेखा पदाधिकारी, अरवल

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम चन्द्र मंडल, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

5 फरवरी 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-03/2024 सा०प्र० 2592—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सीवान एवं मुंगेर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिलाधिकारी, सीवान के पत्रांक-241/सी० दिनांक 31.01.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	इण्टरमीडिएट परीक्षा, 2026	विधि व्यवस्था हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सीवान
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर के पत्रांक-08/का०को० दिनांक 02.02.2026 में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 06.02.2026 के लिए	प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स) निर्वाचन, 2026	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मुंगेर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

2 फरवरी 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-03/2024 सा०प्र० 2246—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणों के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधुबनी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं आगामी स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-268 जि०गो० दिनांक 21.01.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	एक वर्ष के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधुबनी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

28 जनवरी 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-03/2024 सा०प्र० 1976—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को

उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को नालन्दा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/ अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-8109/गो0 दिनांक 11.09.2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	वर्ष 2025 के माह सितम्बर से दिसम्बर तक के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	नालन्दा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

20 जनवरी 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-03/2024 सा०प्र० 1473—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को नालन्दा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/ अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक-364 दिनांक 14.01.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	वर्ष 2026 के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	नालन्दा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

22 जनवरी 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-02/2024 सा०प्र० 1720—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को भागलपुर जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक-08(प्र०)/सी० दिनांक 13.01.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	दिनांक 31.12.2026 तक की अवधि के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	भागलपुर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

6 फरवरी 2026

सं० 7/शक्ति प्र०-13-03/2024 सा०प्र० 2688—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को अरवल एवं जमुई जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-81/स्था० दिनांक 03.02.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	जीविका समिति एवं पैक्स निर्वाचन, 2026 चुनाव कार्य हेतु	जीविका समिति एवं पैक्स निर्वाचन, 2026	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	अरवल
2	जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)-सह-जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-13/मा०प्र०को० दिनांक 05.02.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	पैक्स निर्वाचन, 2026 चुनाव कार्य हेतु	पैक्स निर्वाचन, 2026	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	जमुई

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचनाएं

9 फरवरी 2026

सं0सं0 6/वि0पत्रा0-24-70/2023-483—बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी श्री नागेन्द्र प्रसाद, राज्य-कर उपायुक्त (56-59वीं बैच), अन्वेषण ब्यूरो, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का उनके आवेदन के आलोक में उनके द्वारा आवेदित तिथि-28.02.2025 के प्रभाव से बिहार वित्त सेवा के वर्तमान पद से त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है। भविष्य में इनका बिहार वित्त सेवा के पद पर कोई भी दावा विचारणीय नहीं होगा।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीतू सिंह, अवर सचिव।

9 फरवरी 2026

सं0सं0 6/वि0पत्रा0-24-71/2023-484—बिहार वित्त सेवा के श्रीमती सुस्मिता कुमारी, राज्य-कर सहायक आयुक्त (60-62वीं बैच), पूर्णियाँ अंचल-2, पूर्णियाँ का उनके आवेदन के आलोक में उनके द्वारा आवेदित तिथि-28.02.2025 के प्रभाव से बिहार वित्त सेवा के वर्तमान पद से त्याग-पत्र स्वीकृत किया जाता है। भविष्य में इनका बिहार वित्त सेवा के पद पर कोई भी दावा विचारणीय नहीं होगा।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नीतू सिंह, अवर सचिव।

सं0 09/सैप-10-03/2019 गृ0आ0—1831

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिन्हा,
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 7 फरवरी 2026

विषय —

बिहार पुलिस के अन्तर्गत गठित स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (Special Auxiliary Police) को आदेश निर्गत की तिथि से वर्द्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवान के अनुबंध विस्तारीकरण सहित वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (Ex-Army) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex-Paramilitary, CAPF) को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने के संबंध में।

आदेश —

स्वीकृत।

बिहार राज्य में उग्रवादी/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि व्यवस्था के सक्षम संधारण हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के द्वारा स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) का गठन करते हुए विविध संकल्प एवं स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से इनके अनुबंध की अवधि समय-समय पर (वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2025-26) विस्तारित की जाती रही है।

2. वर्तमान में नवनियुक्त सिपाही अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं एवं वास्तविक कार्यबल के रूप में इनकी सेवा प्राप्त होने में अभी विलम्ब है। उक्त परिस्थिति में राज्य में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अतिरिक्त सैप बलों को अनुबंध पर लिया जाना आवश्यक है।

3. अबतक सैप बलों के रूप में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (Ex-Army) को ही अनुबंध पर लिया जाता रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सेवानिवृत्त सैनिकों (Ex-Army) के अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex-Paramilitary, CAPF) को भी अनुबंध पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. सैप बल के प्रभावकारी कार्य एवं पुलिस बल की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में ई0आर0एस0एस0 में अनुमान्य दरों को दृष्टिपथ में रखते हुए सैप बलों को युक्तियुक्त वर्द्धित दर के अनुसार जे0सी0ओ0 को 35,000/- रुपये, सैप जवानों को 30,000/- तथा रसोइया को 25,000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. वर्तमान मंहगाई दर को दृष्टिपथ में रखते हुये सैप बलों को आदेश निर्गत की तिथि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्द्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवानों के अनुबंध विस्तारीकरण सहित अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों (Ex-Army) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex-Paramilitary, CAPF) को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान में कुल कार्यरत बल 1,717 (10 जे0सी0ओ0, 1698 सैप एवं 09 रसोइया) को वर्द्धित दर (जनवरी-मार्च, 2026) पर मानदेय भुगतान हेतु अनुमानित व्यय अंतर राशि-5,25,62,100/- (पाँच करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार एक सौ रुपये मात्र) के अतिरिक्त अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत बल 17000 (150 जे0सी0ओ0, 16300 सैप एवं 550 रसोइया) को वर्द्धित दर पर मानदेय भुगतान हेतु अनुमानित व्यय राशि-642,09,00,000/- (छः सौ बयालीस करोड़ नौ लाख रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो व्यय मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष "2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-जिला पुलिस, उपशीर्ष-0005-स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस हेतु, विषय शीर्ष-0005-28-02-संविदा सेवायें एवं विपत्र कोड संख्या-22-2055-00-109-0005 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

7. इस राशि पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का सीधा नियंत्रण होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के कोषागार से की जायेगी।

8. उपर्युक्त में मंत्रिपरिषद् एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश से,
मनोज कुमार सिन्हा, उप सचिव।

जल संसाधन विभाग

आवश्यक सूचनाएं

9 फरवरी 2026

विषय-आगामी रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान अपर किउल जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.30 कि०मी० तक नहर संचालन बंद रखने के संबंध में।

Subject:-Notice for closure of Main Canal 0.00 to 19.30 K.M. under Upper Kuil Reservoir Scheme during upcoming Rabbi Irrigation 2025-26.

सं० सि०को०-01/2001 पार्ट IV-70-मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के परिक्षेत्राधीन अपर किउल जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.30 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य कराने हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः अपर किउल जलाशय योजनान्तर्गत मुख्य नहर के 0.00 से 19.30 कि०मी० के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,
आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

28 जनवरी 2026

विषय— आगामी रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणाली) का नहर संचालन बंद रखने के संबंध में।

Subject:- Notice for closure of Western Gandak Canal System (Saran Main Canal and its System) during Rabbi Irrigation 2025-26.

सं० सि०यो०मो०-90/2025-51—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सिवान परिक्षेत्राधीन पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणाली) सारण मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 17.00 तक लाईनिंग कार्य एवं पश्चिमी गंडक नहर पुनर्स्थापन कार्य प्रगति में रहने के कारण नहर संचालन रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली (सारण मुख्य नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणाली) के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,
आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

13 फरवरी 2026

विषय— आगामी रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान पूर्वी कोशी मुख्य नहर में नहर संचालन बंद रखने के संबंध में।

Subject:- Notice for closure of Eastern Kosi Main Canal during upcoming Rabbi Irrigation 2025-26.

सं० सि०को० 01/2001 पार्ट V-87—मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा के परिक्षेत्राधीन पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 41.30 कि०मी० तक रिमॉडलिंग कार्य कराने हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है।

अतः पूर्वी कोशी मुख्य नहर के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी। उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे। उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है।

आदेश से,
आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

Office of The Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji

Office Order

The 27th January 2026

No. XI-K-सा०-03/2024-14—In the light of proposal received from District Magistrate, Jehanabad vide letter no.-01, dated- 07.01.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Homa Irfan, 996/24, Auranagabad	Senior Deputy Collector-Cum-District Supply Officer, Jehanabad.	District Level
02	Sri Hemant Kumar	Assistant Director, District Minority Welfare Officer, Jehanabad.	District Level
03	Sri Manikant Kumar	Circle Officer, Modanganj.	Circle Level

04	Miss. Akanksha Singh	Block Development Officer, Ratni Faridpur.	Block Level
----	----------------------	--	-------------

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt 19.01.2026

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

The 7th January 2026

No. XI-K-रा०-02/2024-01—In the light of proposal received from District Magistrate, Gaya Ji vide letter no.-951, dated- 29.12.2025 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Ashok Kumar Chaudhary	DSO, Gaya Ji	District Level
02	Sri Akash	Assistant Director, Social Security Cell, Gaya Ji	District Level
03	Sri Shashikant	DMC, Gaya Ji	District Level
04	Sri Sanjeev Kumar	DAO, Gaya Ji	District Level
05	Sri Anand Kumar	DPO(Establishment), Education Department, Gaya Ji	District Level
06	Smt. Nayana	SDPGRO, Sadar Gaya Ji	Sub Divisional Level
07	Sri Prabhunath Pandey	BCO, Nagar	Circle Level
08	Sri Dharmendra Kumar Chandravanshi	BCO, Nagar	Circle Level
09	Sri Sandeep Kumar	BCO, Tikari	Circle Level
10	Kazi Minaj Ahmad	BCO, Tikari	Circle Level
11	Sri Rajeev Kumar	BCO, Manpur	Circle Level
12	Sri Monu Kumar	Revenue Officer, Manpur	Circle Level
13	Sri Amit Kumar	Circle Officer, Neemchak Bathani	Circle Level
14	Smt. Smita Sinha	Block Supply Officer, Manpur	Circle Level
15	Sri Rajeev Kumar Gupta	Executive Officer, Nagar Parishad, Bodhgaya	Circle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt 05.01.2026

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

The 31st January 2026

No. XI-K-रा0-04/2024-16—In the light of proposal received from District Magistrate, Arwal vide letter no.-22, dated- 21.01.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Ravi Prasad Chauhan	ADM, Arwal	District Level
02	Sri Ranjeet Kumar	ADLAO, Arwal	District Level
03	Smt Mala Kumari	Incharge District Programe Officer, Arwal	District Level
04	Smt. Atul Kumari	Assistant Director, District Social Security Cell, Arwal	District Level
05	Sri Indrajeet Kumar	Incharge District Statistical Officer, Arwal	District Level
06	Sri Ahmad Ali Raza	District Fisheries Officer, Arwal	District Level
07	Sri Mrityunjay Kumar Jha	District Labour Superitendent, Arwal	District Level
08	Sri Veer Abhimanyu	Executive Magistrate, Sadar Arwal	Sub Divisional Level
09	Miss. Priya Kumari	Sub Divisional Welfare Officer, Arwal	Sub Divisional Level
10	Sri Nilesh Verma	CO, Kurtha	Cilcle Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya Ji dt 29.01.2026

By Order,

Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

The 12th February 2026

No. No.XI-K-रा0-05/2024-29—In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter No.-31, dated- 16.01.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No.	Officers Name	Designation	Remarks
01	Sri Sandeep Bharati	District Minority Welfare Officer, Nawada.	District Level
02	Sri Satendra Prasad Verma	Executive Officer, Nagar Parishad, Nawada	District Level

03	Sri Satendra Kumar	Sub-Divisional Agriculture Officer, Nawada	Sub-Division Level
04	Sri Radha Raman Murari	Block Development Officer, Akbarpur	Block Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt 09.02.2026

By Order,
Sd./Illegible, Secretary to Commissioner.

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

5 फरवरी 2026

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-01/2015-783--MJC No.- 1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं MJC No.- 1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं०-02/2017 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-07ए/स०अभि०(असैनिक) 01-03/2019{06} लो०से०ओ० /गो० दिनांक-04.09.2025 द्वारा विभाग आवंटित करते हुए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराने के उपरान्त पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7827(एस) दिनांक-08.09.2025 द्वारा अनारक्षित कोटि के कुल 24(चौबीस) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा लघु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी गयी ।

2. विभागीय ज्ञापांक-6791 दिनांक-09.09.2025 द्वारा उक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच दिनांक-10.09.2025 को करने हेतु आवश्यक सूचना का प्रकाशन किया गया। दिनांक-10.09.2025 को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में 18(अठारह) अभ्यर्थी उपस्थित एवं 06(छः) अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे ।

3. विभागीय ज्ञापांक-8387 दिनांक-20.11.2025 द्वारा प्रमाण-पत्रों के जाँच में अनुपस्थित रहे 06(छः) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का जाँच(Certificate Verification) पुनः दिनांक-12.12.2025 को करने हेतु आवश्यक सूचना का प्रकाशन किया गया, जिसमें 01(एक) अभ्यर्थी उपस्थित एवं शेष 05(पाँच) अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे ।

4. विभागीय ज्ञापांक-19 दिनांक-01.01.2026 द्वारा पूर्व में निर्धारित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे शेष 05(पाँच) अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों का जाँच(Certificate Verification) दिनांक-20.01.2026 को करने हेतु आवश्यक सूचना का प्रकाशन किया गया, परन्तु उक्त तिथि को कोई भी अभ्यर्थी प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुए ।

5. उक्त तिथियों(दिनांक-10.09.2025, 12.12.2025 एवं 20.01.2026) को आहूत शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रमों में अभ्यर्थी यथा- श्री सिद्धार्थ राज सिंह (अनुक्रमांक-204863/संयुक्त मेधा क्र० सं०-513), श्री शशिकान्त यादव (अनुक्रमांक-217575/संयुक्त मेधा क्र० सं०-541), श्री अरूण कुमार (अनुक्रमांक-209870/संयुक्त मेधा क्र० सं०-551), श्री वैभव शर्मा (अनुक्रमांक-209145/संयुक्त मेधा क्र० सं०-552) एवं श्रीमती समरीन फातीमा (अनुक्रमांक-205631/संयुक्त मेधा क्र० सं०-2663) अनुपस्थित रहे ।

6. विभागीय ज्ञापांक-8387 दिनांक-20.11.2025 एवं विभागीय ज्ञापांक-19 दिनांक-01.01.2026 द्वारा क्रमशः दिनांक-12.12.2025 एवं दिनांक-20.01.2026 को निर्धारित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमों में उपस्थित होने से संबंधित सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके ई-मेल पता, दैनिक समाचार-पत्र एवं विभागीय वेबसाईट के नोटिस बोर्ड के माध्यम से दी गयी ।

प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने वाले उपरोक्त अभ्यर्थियों में से किन्हीं भी अभ्यर्थी द्वारा दस्तावेज सत्यापन निमित्त अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु विभाग में अबतक अभ्यावेदन समर्पित नहीं किया गया है।

7. अतएव बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-02/2017 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 24(चौबीस) अभ्यर्थियों में से विभिन्न तिथियों में आयोजित प्रमाण-पत्रों के सत्यापन कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहने एवं पुनः प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण करने संबंधी अभ्यावेदन समर्पित नहीं करने वाले निम्नांकित 05(पाँच) अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित्व रद्द किया जाता है-

Sl.No.	BPSC Sl. No.	Roll No.	Name	Combina Merit Serial	Date of Birth
1	09	204863	SIDDHARTHA RAJ SINGH	513	23-12-1991
2	24	217575	SHASHIKANT YADAV	541	05-03-1993
3	28	209870	ARUN KUMAR	551	02-19-1994
4	29	209145	VAIBHAV SHARMA	552	04-07-1993
5	106	205631	SAMREEN FATIMA	2663	11-06-1993

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संगीता सिंह, अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 48—571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 185—मैं, अमिता, पुत्री—वीरेन्द्र पाण्डेय, मुहल्ला—आनन्द कॉलोनी, खादी भंडार रोड, पोस्ट—रमना, थाना—मिठनपुरा, जिला—मुजफ्फरपुर, अब से मैं अमिता राज के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी। शपथ पत्र सं० 8983/09.02.2026.

अमिता।

No. 185—I, Amita, D/O Virender Pandey, Muhalla Anand Colony, P.O-Ramna, P.S-Mithanpura, Dist-Muzaffarpur declare that Vide Affid. No. 8983 Dated 09-02-2026 onward today I will known as Amita Raj for all future purpose.

Amita.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 48—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>